न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 51 / 2019

1 सरिता पुत्री श्री रूपनारायण आयु वयस्क जाति कुम्हार निवासी ग्राम बागोरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज.।

अपीलांट

बनाम

1 रामदेव पुत्र गोपी, उम्र व्यस्क जाति कुम्हार निवासी ग्राम बागोरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज.।
2 शिवचरण दत्तक पुत्र गणपत उम्र व्यस्क जाति कुम्हार निवासी ग्राम बागोरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज.।
3 जुगल किशोर पुत्र रिछपाल उम्र व्यस्क जाति कुम्हार निवासी ग्राम बागोरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज.।
4 फूली देवी पुत्री रिछपाल उम्र व्यस्क जाति कुम्हार निवासी ग्राम बागोरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज.।
5 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।
6 रूपानारायण पुत्र रिछपाल उम्र व्यस्क जाति कुम्हार निवासी ग्राम बागोरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज.।
7 सुभाष चन्द्र पुत्र सांवलराम उम्र व्यस्क जाति अहिर निवासी नाथा की नांगल तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
8 बहादरमल पुत्र फूलचन्द सैनी उम्र व्यस्क जाति माली निवासी खादरा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश दिनांक 27.03.2019
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी बामुकदमा
सरिता वगै. बनाम रामदेव वगै. मु.नं. 340/2015

उपस्थिति :

1. श्री अमित कुमार शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट

—निर्णय—

दिनांकः— 6.9.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 340/2015 में पारित निर्णय दिनांक 27.03.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने एक घोषणार्थ, रिकार्ड दुरूस्ती, विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का दावा तथा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 8 के विरूद्ध विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी में पेश किया। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में न्यायालय द्वारा अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा भी जारी की गई थी। दिनांक 27.03.2019 को अचानक ही विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी ने अपीलान्ट की प्रार्थना बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज कर दिया। विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 27.03.2019 से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि इस प्रकरण में अपीलान्ट का प्रथम दृष्टया मामला था तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी अपीलान्ट के पक्ष में था। इसके बावजूद भी विचारण न्यायालय ने किसी भी बिन्दु के संबंध में कोई विशलेषण ना करते हुये केवल संक्षिप्त रूप से अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को अस्वीकार कर दिया। उपरोक्त प्रकरण में अपीलान्ट का हिन्दु उत्तराधिकार विधि के अनुसार जन्म से ही विवादित सम्पति में हिस्सा था तथा इसे किसी भी प्रकार समाप्त नहीं किया जा सकता। अतः स्पष्ट रूप से आवेदिका का प्रथम दृष्टया मामला था इसके बावजूद भी विचारण न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान ना देकर दिनांक 27.03.2019 पारित किया है। हिन्दु उत्तराधिकार विधि में वर्ष 2005 में हुये संसोधन के पश्चात पुत्री को भी पुत्र के बराबर पैत्रक सम्पत्ति में हिस्सा मिल गया है तथा वर्तमान में पुत्री भी सहदायिक है। अतः स्पष्ट है कि अपीलान्ट का विधि द्वारा प्रदत्त अधिकार के अनुसार प्रथम दृष्ट्या मामला था इसके बावजूद भी विचारण न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान ना देकर आदेश दिनांक 27.03.2019 पारित किया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 वर्तमान खसरा नम्बर 1285/123 रकबा 0.11 हैक्टेयर खसरा नम्बर 1301/8 रकबा 0.15 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1302/8 रकबा 0.15 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1305/18 रकबा 0.10 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 1318/124 रकबा 0.18 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 0.69 हैक्टेयर में से अपीलान्ट के हक हिस्से की जमीन वाके ग्राम बागोरा तहसील उदयपुरवाटी को पूर्ण रूप से विक्रय करने पर अमादा है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के हक अधिकारों की सुरक्षा हेतु इस प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जानी चाहिए थी, परन्तु विचारण न्यायालय द्वारा ऐसा नहीं किया गया। अतः सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी आवेदिका/अपीलान्ट के पक्ष में था। अतः इस आधार पर भी विचारण न्यायालय का आदेश दिनांक 27.03.2019 निरस्त किये जाने योग्य है। विचारण न्यायालय ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज किये जाने का आधार दिनांक 29.03.2012 को अपीलान्ट के पिता द्वारा किये गये हक त्याग को माना

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

है, जबकि उक्त हक त्याग अपीलान्ट के हक हकूको के विरूद्ध से शून्य है। अतः इस आधार पर भी विचारण न्यायालय का आदेश दिनांक 27.03.2019 निरस्त किये जाने योग्य है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अतः अपील स्वीकार की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम बागोरा की सरहद में वर्तमान भूमि खसरा नम्बर 1285/123, 1301/8, 1302/8, 1305/18, 1318/124 अवस्थित है। इस भूमि की खातेदारी वर्तमान मे अनावेदक संख्या 1 लगायत 4 के नाम दर्ज रिकार्ड है। आवेदिका सरिता उक्त वर्णित भूमि की खातेदार दर्ज रिकार्ड नहीं है। आवेदिका ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में कथित विवादित भूमि में अपना नोशनल शेयर होना बताया है। उक्त वर्णित भूमि में से आवेदिका के पिता का हिस्सा 1/36 था। आवेदिका के पिता ने दिनांक 29.03.2012 को अपने हिस्से की सम्पूर्ण भूमि का हकत्याग अनावेदक संख्या 2 के नाम कर दिया। हक त्याग पूर्ण स्वस्थचित से उप पंजीयक उदयपुरवाटी के समक्ष व उपस्थित गवाहान के समक्ष हुआ है। आवेदिका के पिता द्वारा अपने हिस्से की सम्पूर्ण भूमि का हकत्याग करने के उपरान्त उक्त वर्णित भूमि में वर्तमान में आवेदिका का कोई हिस्सा नहीं बचा है। आवेदिका द्वारा कथित हकत्याग को सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से अपीलांट का आवेदन खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

भूप्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

निर्णय आज दिनांक 6.9.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोंजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)